इनसाइडर ट्रेडिंग

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आरोप लगाया है कि बिलियनेयर गौतम अदानी के भतीजे ने मूल्य संवेदनशील जानकारी साझा की और इनसाइडर ट्रेडिंग/आंतरिक व्यापार को रोकने के लिये बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया।

- **परिचय:** आंतरिक व्यापार (इंसाइडर ट्रेडिंग) उस अवैध अभ्यास को कहते हैं, जिसमें किसी सार्वजनिक रूप से व्यापारित कंपनी के स्टॉक या सुरक्षा को कंपनी के बारे में महत्त्वपूर्ण, अप्रकाशित जानकारी (Material, Non-Public Information - MNPI) के आधार पर खरीदा या बेचा जाता है।
  - यह व्यापारी को अन्य निवेशकों पर अनुचित लाभ प्रदान करता है और बाज़ार की निष्पक्षता को कमज़ोर करता है।
  - आंतरिक व्यक्ति में **कंपनी के कार्यकारी**, **निदेशक**, गोपनीय डेटा (जो स्टॉक कीमतों को प्रभावित करता है) तक पहुँच रखने वाले कर्मचारी, उनके संबंधी या सहयोगी, और कंपनी के साथ कार्य कर रहे पेशेवर जैसे वकील, बैंकर्स या ऑडिटर्स शामिल हो सकते हैं।
- भारत में, इंसाइडर ट्रेडिंग सेबी अधिनियम, 1992 के तहत प्रतिबंधित है और **सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015** द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो इंसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करने और सीमित करने के लिये नियम निर्धारित करते हैं।
- **फ्रंट-रनिंग एक अवैध अभ्यास** है, जिसमें व्यापारी या ब्रोकर अपने ग्राहकों के लंबित लेन-देन की पूर्व जानकारी का उपयोग करके अपेक्षित मूल्य परिवर्तनों से लाभ कमाने का प्रयास करते हैं।
  - आंतरिक व्यापार के विपरीत, यह बड़े आदेशों की जानकारी का लाभ उठाता है, न कि कंपनी की गैर-प्रकाशित जानकारी।
  - दोनों अभ्यास भारत में SEBI विनियमों के तहत **प्रतिबंधित** हैं।

और पढ़ें: फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/insider-trading-2